

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 160B/2017-18

नानुराम महतो बनाम शांति महतो

:: आदेशः

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


13-06-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 468 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 160 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता नानुराम महतो, पिता छुट्टु महतो, ग्राम-सीनी(कोचाकुली) थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों ने ऋण परिशोधन हेतु क्रेता शान्ति महतो, पति-स्व0 चन्द्रमोहन महतो, ग्राम-सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सिदमा	203	18	153	0.14 डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि बिक्रेता पिता के नाम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 3.17.5 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.14डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.03.5 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.14 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।